न्यायालय श्री मान माननीय राजस्व

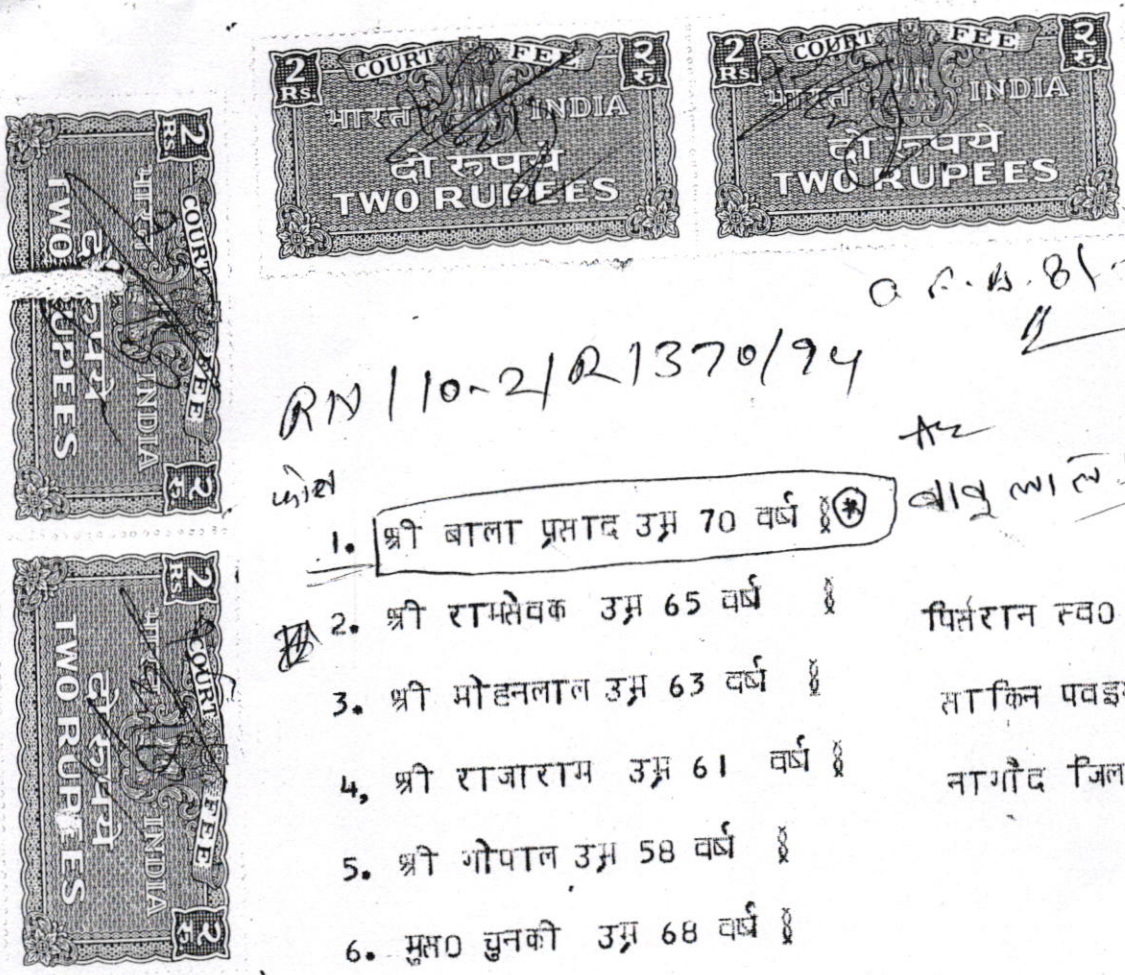

(76)

RN/10-2/R1370/94

1. श्री बाला प्रसाद उम्र 70 वर्ष ।
2. श्री रामसेवक उम्र 65 वर्ष । पिसरान स्व0 जगन्नाथ कुर्मी
3. श्री मोहनलाल उम्र 63 वर्ष । साकिन पवइया तहसील
4. श्री राजाराम उम्र 61 वर्ष । नागौद जिला सतना म0प्र0
5. श्री गोपाल उम्र 58 वर्ष ।
6. मुस0 चुनकी उम्र 68 वर्ष ।
7. ~~मुस0 बड़ी पत्नी कढोली कुर्मी~~ ।
7. लखन उम्र 46 साल । तनय कढोली कुर्मी सा0 छुलहा तहसील
8. महादेव उम्र 42 साल । नागौद जिला सतना म0प्र0 - आवे0/निग0

बनाम

1. जगेश्वर सिंह उम्र 62 साल । तनय बिशेषर सिंह सा0 पवइया
2. भुनेश्वर सिंह उम्र 60 वर्ष । तहसील नागौद
3. मुस0 शिवनन्दन कुमारी उम्र 58 साल पुत्री बिशेषर सिंह पत्नी
द्रिगपाल सिंह चन्देल ग्राम कुंअरपुर पोस्ट बीरामऊ जिला कानपुर कार
4. नत्थू सिंह उम्र 45 साल तनय बिशेषर सिंह साकिन पवइया
तहसील नागौद जिला सतना म0 प्र0
5. मुस0 राधा कुमारी उर्फ मीना कुमारी उम्र 40 वर्ष बेवा
रामाधार सिंह सा0 पवइया तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0 / निग0

द मैं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 370/94 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–11–16	आवेदक के अभिभाषक श्री ए0के0 अग्रवाल उपस्थित। अनावेदक क्र0 2 से 6 तक के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 177/अ–70/83–84 में पारित आदेश दिनांक 18.01.94 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये । आवेदकगण अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि पंच फैसले के आधार पर कोई निणर्य धारा 34 के अंतर्गत राजस्व न्यायलय नहीं कर सकती तथा 1954 में धारा 447 के जिस मुकदमें में आधार लिया गया है वह जमीन अलग थी। पटवारी के बयानों को गलत मूल्यांकन किया गया। अतएव निगरानी, स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। इसी के प्रतिउत्तर में अनावेदकगण ने तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश पंच फैसला एवं धारा 447 के मुकदमें पर आधारित ही नहीं है तथा साक्ष्य विवेचना सही है। साथ ही द्वितीय अपील में तथ्य के प्रश्न नहीं उठ सकते। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जावे एवं आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया । 4/ प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों	

का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने पंच के फैसलों को अमान्य किया है और 1954 की भूमि का भी आधार नहीं लिया है वरन उन्होंने स्वयं साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना कर समय अवधि एवं कब्जे पर निष्कर्ष निकाले है। जहां तक पटवारी की साक्ष्य विवेचना का प्रश्न है, उसने रिकॉर्ड की जांच की है, किन्तु उसके संबंध में कुछ याद नहीं होना बताया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी की साक्ष्य विवेचना में भी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती । अपर आयुक्त रीवा न अपने आदेश दिनांक 18.01.94 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्श्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0अली)
सदस्य